



विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कैराना (शामली)



11 मार्च सन् 2000 को राजकीय महाविद्यालय, कैराना की आधारशिला तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा तथा माननीय मंत्री श्री हुकुम सिंह जी के विशेष प्रयासों से एवं उनकी अध्यक्षता में रखी गयी। यह महाविद्यालय शहर के कोलाहल से दूर पानीपत-खटीमा मार्ग पर स्थित है।

महाविद्यालय में जुलाई, 2000 से कला एवं वाणिज्य स्नातक कक्षाएं प्रारम्भ हुईं। सत्र 2000-2001 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महाविद्यालय का नामकरण उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जनपद के गुठावली अख्तरपुर गाँव में 27 फरवरी सन् 1882 को एक गुर्जर परिवार में जन्मे प्रसिद्ध अमर क्रान्तिकारी विजय सिंह पथिक के नाम पर **विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय, कैराना** कर दिया गया। महाविद्यालय सत्र 2003-2004 से विज्ञान संकाय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हुआ।

महाविद्यालय का उद्देश्य उच्च शिक्षा के पारम्परिक क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को समान रूप से सामान्य शुल्क पर शिक्षा सुलभ कराना है।

वर्तमान में महाविद्यालय का लक्ष्य समस्त प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करना एवं उनका सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षार्थी को शिक्षा सुगमता से सुलभ हो, सामान्य जन की आकांक्षाओं के अनुरूप हो एवं सार्थक हो यही महाविद्यालयी शिक्षा का लक्ष्य है।

- महाविद्यालय परिसर का क्षेत्रफल : 21 बीघा
- महाविद्यालय की स्थापना वर्ष : 2000
- महाविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य का एक शासकीय महाविद्यालय है जिसका सम्पूर्ण प्रबंधन उ०प्र० शासन के आदेशों के अन्तर्गत संचालित होता है।
- महाविद्यालय को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय तथा कला एवं वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर सम्बद्धता प्राप्त है।
- महाविद्यालय शिक्षकों का चयन उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। समस्त प्राध्यापक, उ.प्र. शासन के समूह 'क' के राजपत्रित अधिकारी होते हैं। गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती उच्च शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. इलाहाबाद द्वारा शासकीय स्तर पर समय-समय पर की जाती है।

“शिक्षा आन्तरिक अंकुरण है, बाहरी आरोपण नहीं।”

महत्वपूर्ण निर्देश

1. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं को शासन और विश्वविद्यालय के निर्देशों का पालन करना होगा।
2. प्रवेश शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा घोषित निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा और उनमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तन भी महाविद्यालय द्वारा लागू किए जायेंगे।
3. प्रवेश में आरक्षण के सम्बन्ध में शासन के सभी नियमों का पालन किया जायेगा।
4. नियमों की जानकारी के लिए छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अध्ययनकाल में महाविद्यालय का सूचना पट्ट अवश्य देखें तथा उसी के अनुसार अध्ययन सम्बन्धी, छात्रवृत्ति, परीक्षा, खेल-कूद सह शैक्षणिक गतिविधियों तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करें।
5. समस्त छात्र-छात्राओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रवेश से पूर्व इस विवरणिका का अध्ययन अवश्य करें और अपना आवेदन स्वयं अपनी हस्तलिपि में साफ-साफ भरें तथा पूर्ण हस्ताक्षर करें।
6. महाविद्यालय में प्रवेश पंजीकरण की अन्तिम तिथि चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा निर्धारित होगी।
7. चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन प्रारम्भ होता है।
8. चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात बैंक में पंजीकरण राशि जमा करने की हार्ड कॉपी के साथ ही आवेदन-पत्र महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
9. आवेदन पत्र के सन्दर्भ में प्रवेशार्थी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें -
 - (क) आवेदन पत्र में वांछित सूचनायें तथा स्थायी पता सावधानीपूर्वक अंकित करें।
 - (ख) स्थानीय अभिभावक का पता एवं टेलीफोन नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।
 - (ग) महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र-छात्रा को आवेदन पत्र में स्थायी एवं स्थानीय पते में परिवर्तन की सूचना अविलम्ब कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 - (घ) ऐसे आवेदकों को जिन्हें प्राचार्य, अनुशासन मंडल (शास्ता), महाविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों या विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया हो, प्रवेश देय नहीं होगा।
10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार करना संभव नहीं होगा।
11. महाविद्यालय में प्रवेश के समय छात्र-छात्रा को अपने माता-पिता / संरक्षक के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
12. कक्षाएं प्रारम्भ होने पर छात्र-छात्राओं को विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक विषय की कक्षा में शुल्क रसीद दिखाकर नाम लिखवाना अनिवार्य है। सभी छात्र अपना परिचय पत्र पूर्ण कर मुख्य शास्ता के हस्ताक्षर करवाकर महाविद्यालय में सदैव साथ रखेंगे। ऐसा न करने पर उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
13. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं पर वरीयता सम्बन्धी नियम लागू नहीं होंगे।
14. उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पूर्णतः वर्जित है। इससे सम्बन्धित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाये जाने पर दोषी छात्र/छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद रिट याचिका संख्या - 4236/2014 तथा उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या - 252/सत्तर 1 - 2014 लखनऊ दिनांक : 12 मार्च 2014 में दिये गये निर्देशों के अनुसार शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थित रहने वाले छात्र-छात्राओं को ही परीक्षाओं में प्रतिभाग की अनुमति होगी।

“साधनों से नहीं साधना से व्यक्ति महान बनता है।”

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र-2019-2020

सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

प्रवेश परीक्षा/शारीरिक दक्षता परीक्षा/यूपीएसई0ई0/एन0ई0ई0टी0 के माध्यम से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल www.ccsuniversity.ac.in पर समयबद्ध सफल पंजीकरण करना अनिवार्य है।

बिना प्रवेश परीक्षा के योग्यता सूची से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल www.ccsuweb.in के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रवेश किये जायेगे।

अल्पसंख्यक अभ्यर्थी सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश www.ccsuweb.in पर उपलब्ध पाठ्यक्रयों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।
- (क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- (ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाईन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों/संस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता, अंग-भंग आदि) हेतु कुल 4 प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके स्थान पर

अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04-06-2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2019-20 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट तक व नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों में 3 सीट तक वृद्धि की जा सकती है। व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का समयबद्ध सफल पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं, किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक योग्यतानुक्रमानुसार व आरक्षण नियमानुसार पंजीकृत अन्य अभ्यर्थियों को समयबद्ध प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय/संस्थान चाहें, तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट अभ्यर्थियों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों/संस्थानों को संरक्षित करनी होगी।

(घ)(i) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को www.ccsuweb.in पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है इस हेतु हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबाईल नम्बर, स्वयं का ई-मेल, होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में मांगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान की वरीयता देना आवश्यक होगा। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पत्र का भली-भाँति अवलोकन कर ऑन लाईन सम्मिट करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाइल नं० पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करे। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन नहीं करने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने देने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

(घ)(ii) प्रवेश हेतु दो योग्यताक्रम (मेरिट) सूचियां प्रकाशित की जायेगी, जिसके माध्यम से प्रवेश सीमित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान की चयन सूची में वरीयतानुसार नाम आने पर लिए जा सकते हैं। प्रत्येक योग्यता सूची के प्रवेश ऑफर लेटर अपने लॉगइन से डाउनलोड कर सम्बन्धित महाविद्यालय में गोपनीय संख्या देने पर प्रवेश सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। ऑफर लेटर मात्र अभ्यर्थी अपने लॉगइन से प्राप्त कर सकता है एवं प्रवेश सम्पुष्टिकरण मात्र सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा उनके लॉगइन से किया जा सकता है। किसी भी योग्यता सूची की समय सीमा समाप्त होने पर नाम होने पर भी प्रवेश सम्पुष्ट नहीं हो सकते। प्रथम वरीयता के महाविद्यालय/संस्थान में नाम आने पर व प्रवेश सम्पुष्ट होने के पश्चात् पुनः नाम किसी भी मेरिट लिस्ट (ओपन सहित) में प्रदर्शित नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम दो वरीयता सूची में नाम आने के उपरान्त भी प्रवेश नहीं ले पाते हैं, तो वे प्रथम ओपन मेरिट में महाविद्यालय/संस्थान की वरीयतानुसार दी गयी सूची में पुनः प्रवेश लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं।

(घ)(iii) प्रथम ओपन मेरिट के उपरान्त ओपन पंजीकरण अर्थात् महाविद्यालय/संस्थान व पाठ्यक्रम के विकल्प के बिना पूर्ण किये गये आवेदन पत्र के आधार पर ऑफर लेटर में इंगित गोपनीय संख्या के माध्यम से रिक्त सीटों के सापेक्ष आरक्षण नियमानुसार वांछित महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना उचित होगा कि ओपन पंजीकरण आवेदन पत्र खुलने के पश्चात् पूर्व से ही पंजीकृत अप्रवेशित अभ्यर्थियों के भी चयनित महाविद्यालय/संस्थान व पाठ्यक्रम आवेदन पत्र से समाप्त हो जायेंगे व उन्हें नवीन अभ्यर्थी की भाँति ही पुनः ऑफर लेटर डाउनलोड करना होगा तथा वांछित महाविद्यालय/संस्थान में समस्त प्रपत्रों के साथ उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय/संस्थान द्वारा ऑनलाइन प्रवेश सम्पुष्ट होने पर अभ्यर्थी के लॉगइन में सूचना प्राप्त होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।

(ङ) विषय संयोजन आवंटित करने का अधिकार सभी नियमों का संज्ञान लेते हुए, महाविद्यालय के प्राचार्य/उनके द्वारा नामित प्रवेश समिति को ही होगा। विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों/संस्थानों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, अभ्यर्थी की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटियों के सम्बन्ध में 2 कार्य दिवस के अन्तर्गत प्राचार्य लॉगइन से संशोधन हो सकता है, किन्तु 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जायेगा। विषय संयोजन की सम्पुष्टि के पश्चात् विषय परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। ओपन मेरिट द्वारा बाद में प्रवेश लेने वाले, किन्तु योग्यताक्रम में श्रेष्ठ अर्ह अभ्यर्थी को उसके चयनित विषय, अनुपलब्धता की स्थिति में न मिलने पर महाविद्यालय/संस्थान दोषी नहीं होगा। महाविद्यालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि विषय संयोजन सीमित हो, जिससे रिक्त स्थान न शेष रहें।

आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मेरिट (जो पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् व पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है) में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा छात्रावास में आवास प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखे जायेंगे।

नोट:- यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे, तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् वांछित किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर के किसी अन्य प्रदेश के बोर्ड/संस्थान से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(च)(i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश निर्धारित सीटों का अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा तक ही होंगे, (व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यह सीमा लागू नहीं होगी)। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी, जोकि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करें, तब भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2019-20 में ट्रान्सजेन्डर के लिए भी प्रवेश मान्य होगा, किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

- (छ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में स्थान होने पर माननीय कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो, ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होगा।
- (ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही जनपद में स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं होगी।
- (iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।
- (iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (v) ऐसे अभ्यर्थी, जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0पी0टी0, डिप्लोमा इन आर0डी0आई0टी0, 60 प्रतिशत अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हैं, वे रिक्त सीटों के सापेक्ष कुल सीटों के 10 प्रतिशत स्थानों पर बी0पी0टी0 व बी0आर0डी0आई0टी0 में लेटरल एन्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- (vi) स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/ पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों/संस्थानों/ पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों/संस्थानों की अनापत्ति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।
- (ज) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे: सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 आदि), किन्तु उनके पाँच विषयों के योग्यता प्राप्तांक चयनित विषयों सहित (जहाँ आवश्यक है) उ0प्र0 बोर्ड के सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए। स्ववित्त पोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होने के कारण उक्त नियम लागू नहीं है।
- (झ) वरीयता सूची तैयार करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में दो वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। अन्तराल के वर्षों में कुल प्राप्तांकों से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष कटौती (अधिकतम 8 प्रतिशत) की जायेगी।
- (ञ) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम0ए0 की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम0ए0 में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम0ए0 प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम0ए0 करना चाहता है, तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।
- (ट) ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष की उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे, जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

- (ठ) योग्य/पात्र अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अर्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमन्य होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी।

विशेष नोट :

मान्यता प्राप्त बोर्ड/(एन0आई0ओ0एस0 व ए0आई0यू0 पर उपलब्ध)/(यू0जी0सी0 व ए0आई0यू0 की वेबसाइट से उद्धृत) विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

1. ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् संज्ञान में आती है, तो उनका कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा।
2. महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य यदि 1 (शिक्षक) : 60 (विद्यार्थी) अथवा 1(शिक्षक) : 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं, तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन के अनुपात में सीट संख्या के सापेक्ष प्रति विषय उपलब्ध अनुमोदित शिक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति के उपरान्त इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनके विरुद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।
3. "शासनादेश संख्या-2555/सत्तर-2-2007-2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग- 2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007-08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006-07 में निर्गत शासनादेश संख्या-1678/ सत्तर-2-2006-2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या-1870/ सत्तर-2-2000-2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या-3371/सत्तर-2-2006-2 (166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या- 421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जायेंगे।"
4. किसी भी अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक/स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है। इसमें मनोविज्ञान प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होते हुए भी अपवाद होगा, जिसके स्नातक स्तर पर यह विषय होना आवश्यक नहीं होगा।

निम्नलिखित विषय संयोजन स्नातक स्तर पर अनुमन्य नहीं है:-

- हिन्दी तथा उर्दू
- गणित तथा संगीत
- सैन्य अध्ययन तथा गृह विज्ञान
- राजनीति विज्ञान तथा सांख्यिकी
- मनोविज्ञान तथा भूगोल

किसी भी अभ्यर्थी को बी०ए० में तीन साहित्यिक विषय अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान विषय न रहा हो, तो स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के संयोजन का चयन करने पर बी०ए० की उपाधि प्रदान की जाएगी।

Note:- In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

5. ऐसा विद्यार्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो, किन्तु वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर महाविद्यालय/संस्थान में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे सम्बन्धित परीक्षा एक पूर्व-विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 6. अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (Weightage) दिए जायेंगे:-
 - (अ) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।
 - (ब) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिए।
 - (स) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने परास्तानक विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक आनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।
 - (द)(i) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "C" या "G-II" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।
अथवा
 - (ii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।
अथवा
 - (iii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार उनके लिए, जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।
अथवा
- स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा-
- (i) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।
अथवा
 - (ii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।
अथवा
 - (iii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, तृतीय सोपान/गुरुपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।
अथवा
 - (iv) मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार, द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् जी0ओ0 न0 एफ0.14-3/85 (सी0पी0), दिनांक: 24.04.1985 के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु, पाठ्यक्रमवार (व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालयीय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI (Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण-पत्र धारक हो।

नोट- (i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 8 अंकों तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 12 अंकों तक अधिभार दिया जा सकता है)

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

7. कोई भी विदेशी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा, जब तक कि सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।
8. इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी अन्य मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी क्रमशः द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के समतुल्य पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो। पाठ्यक्रम का सामंजस्य एलएल0बी0 के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 10 के मान्य होने की स्थिति के अधीन होगा।
9. एक विद्यार्थी को संस्थागत रूप में बी0ए0/बी0एससी0/बी0कॉम0/एलएल0बी0, 6 वर्ष की अधिकतम अवधि में, एम0ए0/एम0एससी0/एम0एससी0 (कृषि)/एम0कॉम0/एलएल0एम0/एम0पी0एड0 चार वर्ष में, बी0ए0-एलएल0बी0, बी0कॉम0 एलएल0बी0 (इन्टीग्रेटेड) 8 वर्ष में, बी0ए0 बी0एड0 (इन्टीग्रेटेड) 7 वर्ष में, बी0एड0/बी0पी0एड0 और एम0एड0 तीन वर्ष में, बी0एससी0 (कृषि) 8 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। तीन/चार/छः/सात/आठ वर्ष की अवधि उस शैक्षिक सत्र से मानी जायेगी, जिसमें उसने प्रथम बार प्रवेश लिया हो। उक्त अवधि के समाप्त होने के उपरान्त उसका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा।
10. एम0एससी0, एम0ए0 भूगोल, गृहविज्ञान, संगीत और चित्रकला में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए निम्न नियम अतिरिक्त होंगे-
 - (i) महाविद्यालय/संस्थान विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देंगे।
 - (ii) एम0एससी0 और एम0ए0 में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी0एससी0/बी0ए0 में उपर्युक्त वर्णित नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस0सी0/एस0टी0 के अभ्यर्थियों के लिए मान्य नहीं होंगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे।

- (iii) प्रस्तर (ii) पर दिये गये विषयों से अलग एम0ए0 के ऐसे विषय, जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं हैं एवं एम0एससी0 (गणित) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे।
- (iv) एम0एससी0 और एम0ए0 (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा। एम0एससी0 सांख्यिकी हेतु प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर गणित/सांख्यिकी विषय होना अनिवार्य है, परन्तु एम0ए0 प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटों से कम होने की स्थिति में सहायक (Subsidiary) विषय मान्य होंगे। एम0एससी0 बायोइन्फोरमेटिक्स (Bioinformatics) में प्रवेश हेतु स्नातक बायोलॉजी ग्रुप/बायोटेक्नोलॉजी/कम्प्यूटरसाइंस/गणित/सांख्यिकी/माइक्रोबाइलॉजी/बी0एम0एल0टी0/बी0एससी0 (कृषि) में 50 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे।
- (v) एम0एससी0 (गणित) में प्रवेश हेतु बी0सी0ए0, बी0टैक0 (मैकेनिकल, कम्प्यूटर साइंस, इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे किन्तु उनकी योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती करके बनायी जायेगी। बी0एससी0 (गणित) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (vi) एम0ए0 के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वहीं विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।
- (vii) एम0ए0 (अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/बी0ए0(गणित)/बी0एससी0 (गणित)/बी0कॉम0 अथवा 10+2 में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा, किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती के पश्चात् जारी की जायेगी। बी0ए0 (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ix) एम0ए0 गैर प्रायोगिक विषय (इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र) तथा मनोविज्ञान के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह हैं, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है, तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंकों की कटौती की जायेगी।
11. (i) एलएल0बी0 प्रथम वर्ष में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर विहित नियमावली के अनुसार किये जायेंगे। एलएल0बी0 (3 वर्षीय एवं 5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग हेतु 44.5 प्रतिशत से अधिक/पिछडा वर्ग हेतु 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 39.5 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ स्नातक/परास्नातक उत्तीर्ण छात्र पात्र होगा। योग्यता क्रम की गणना हेतु स्नातक (3 अथवा अधिक वर्षीय) अथवा स्नातकोत्तर स्तर (2 वर्षीय) पर, जिसमें अधिक प्रतिशत अंक हो, वही आधार बनेगा यद्यपि गैप वर्ष की गणना पात्रता कक्षा अर्थात् स्नातक से की जायेगी, तथापि भारत के राजपत्र भाग-III, खण्ड-4, दिनांक: 07.08.2014 के अनुसार एलएल0बी0 (3 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु अर्ह कक्षा स्नातक अथवा उच्चतर कक्षा (स्नातकोत्तर) में 45 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त करे हों, तो वह अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।
- (ii) जिन अभ्यर्थियों ने इस विश्वविद्यालय से या इस विश्वविद्यालय से मान्य किसी अन्य विश्वविद्यालय से एलएल0बी0 उपाधि (3 वर्षीय पाठ्यक्रम/5 वर्षीय पाठ्यक्रम) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की है, मास्टर ऑफ लॉ (एलएल0एम0) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के उपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर ही अर्ह होंगे।
- (iii) एक अभ्यर्थी, जिसने एलएल0बी0 का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय से, जोकि इस विश्वविद्यालय में मान्य है, उत्तीर्ण किया है, एलएल0बी0 के द्वितीय वर्ष या तृतीय

वर्ष में प्रवेश ले सकता है, किन्तु उसे इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के सभी प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण करने होंगे।

- (iv) कोई भी महाविद्यालय/संस्थान एलएल0बी0 प्रथम वर्ष में B.C.I. द्वारा निर्धारित सीटों के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेगा।
12. (i) बी0कॉम0 प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु योग्यता सूची तैयार करते समय उन अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार दिया जाएगा, जिन्होंने 10+2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी0कॉम0 में प्रवेश के लिए मैरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्तांकों को आधार माना जाएगा।
- (ii) बी0ए0 में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।
- (iii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी0कॉम0, बी0ए0 अथवा बी0एससी0 में प्रवेश के लिए मेरिट में केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे, प्रयोगात्मक विषयों के नहीं।
13. (i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।
- (iii) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय/संस्थान में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (iv) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरुद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में माननीय कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- (v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार का दोषी पाये गये, किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।
- (vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :
- "If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."**
- (vii) कोई भी विद्यार्थी, जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सात साल हो चुके हैं, बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0एड0, एम0पी0एड0, एलएल0एम0 व्यावसायिक स्वतंत्रपोषित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा/पाठ्यक्रम में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।
14. (i) बी0एड0/बी0पी0एड0 और एम0एड0/एम0पी0एड0 की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम बी0एड0, एम0एड0 के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

- (ii) बी0एससी0 (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होंगे। अभ्यर्थी को बी0एससी0 (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कृषि से या जीव विज्ञान में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। इन परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता सूची बनायी जायेगी।
- (iii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी0ए0 (गृह विज्ञान)/बी0एससी0 (गृह विज्ञान) तथा बी0एससी0 (कृषि) में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
- (iv) केवल ऐसे अभ्यर्थी एम0एससी0 (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये योग्य होंगे, जिन्होंने बी0एससी0 (कृषि) से चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। एम0एससी0 (कृषि) में प्रवेश योग्यताक्रम के आधार पर होगा।
15. ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।
16. ऐसा अभ्यर्थी, जो कोई ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता।
17. (i) एम0कॉम0 के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी0कॉम0 परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बी0बी0ए0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे किन्तु प्राथमिकता बी0कॉम0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दी जायेगी।
- (ii) बी0सी0ए0/बी0टैक0 (Mech./CS/IT/EC/Electrical) की परीक्षा बी0एससी0 (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जाएगी यद्यपि एम0एससी0 (गणित) में प्रवेश की प्राथमिकता बी0एससी0 (गणित) को दी जायेगी।
- (iii) बी0पी0ई0एस0 (सेमेस्टर प्रणाली 3 वर्षीय पाठ्यक्रम)/बी0एससी0 (शारीरिक शिक्षा) (वार्षिक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम) यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की अन्य स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।
- (iv) एम0पी0ई0एस0 (सेमेस्टर प्रणाली 2 वर्षीय) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना जायेगी।
- (v) एलएल0बी0 (3 वर्षीय) एवं एलएल0बी0 (5 वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया (बी0सी0आई0) द्वारा निर्धारित अर्हता ही मान्य होगी।
- (vi) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। स्नातकोत्तर स्तरीय तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में क्रमशः 50 तथा 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा, परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण (5 प्रतिशत छूट के साथ) छात्र प्रवेश हेतु पात्र होंगे।
18. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।
19. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।
20. (i) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में बी0ए0 प्रथम/एम0ए0 प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है एवं शासन द्वारा अधिकृत उत्तर प्रदेश के

किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता प्रवेश की सूची में प्रवेश हेतु वह अभ्यर्थी बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05.06.2004 में लिए गये निर्णयानुसार)। बी०एड०/बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा (प्रवेश समिति की दिनांक: 28.02.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार)।

21. ऐसे अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जाएगा।
22. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।
23. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू०पी० या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।
24. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान की परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय/संस्थान अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा।
25. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिणयों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।
26. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा, यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः परीक्षा देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
27. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।
28. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है, तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं माना जायेगा।
29. बी०एससी०(फिज़िकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स विषय) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जीव विज्ञान विषय में 10+2 उत्तीर्ण छात्रों को क्रीड़ा सम्बन्धी अभिलेखों के साथ 45 प्रतिशत अंक (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग) व 40 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/जनजाति) होने पर ही दिया जायेगा।
30. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों यथा बी.लिब आदि में प्रवेश 10+2+3 पैटर्न के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। अतः 10+2+3 उत्तीर्ण छात्रों को ही उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाये। जिस पाठ्यक्रम विशेष के लिये अर्हता सूची में उल्लिखित है, मात्र उसमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे।
31. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में महिला अभ्यर्थिनियों को क्षैतिज (Horizontal) आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

32. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय IV के प्रस्तर-4 के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हों।
33. BJMC, BBA, BFA, B.El.Ed., में प्रवेश हेतु 10+2 में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है। एस0सी0/एस0टी0 अभ्यर्थियों का प्रवेश 40 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा।
34. BMLT तथा BMM के लिए 10+2 पी0सी0बी0/पी0सी0एम0 के साथ न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है। एस0सी0/एस0टी0 अभ्यर्थियों का प्रवेश 40 प्रतिशत तक अनुमन्य होगा। BOT, BRDIT तथा BPT के लिए मात्र पी0सी0बी0 अनुमन्य है। Post Basic Nursing के लिए 10+2 के साथ General Nursing and Midwifry में डिप्लोमा आवश्यक है। B.Sc. Nursing के लिए 10+2 मात्र पी0सी0बी0/पी0सी0बी0ई0 के साथ न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक है।
35. B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) के लिए 10+2 में गृह विज्ञान आवश्यक है।
36. प्रवेश के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन किया जायेगा।
37. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों/संस्थानों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।
38. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
39. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से दो वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।
40. M.Sc. (Home Science) की विभिन्न शाखाओं के लिये अर्हता B.Sc. (Home Science) 50 प्रतिशत अंकों के साथ रहेगी। Foods & Nutrition पाठ्यक्रम के लिये B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त प्रतिशत के साथ ही पात्र होंगे।
41. यदि अभ्यर्थी उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय/संस्थान की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के अन्तर्गत पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में ही उस महाविद्यालय/संस्थान अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है, तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। किसी भी तरह की त्रुटि के संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
42. समय-समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे, जो मान्य होंगे। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही अच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।
43. छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रवेशित होगा, यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यहि वह भी समान हों, तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।
44. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू0जी0सी0/आई0जी0एन0ओ0यू0 तथा एन0आई0ओ0एस0 की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

वित्त समिति तथा कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित शुल्क के लिये विश्वविद्यालय वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर downloads में देखें।

Bhartiya Shiksha Parishad is fake institution functioning in contravention of the UGC Act, 1956. The Hon'ble Civil Court(JD) Lucknow has granted interim stay to the Parishad and has restrained UGC from calling it as fake or treating it as fake till the final decision in the matter. The UGC has initiated action to get the stay vacated. However, in compliance of the order of the hon'ble court the UGC has for the time being decided to exclude the name of the Bhartiya Shiksha Parishad from the list of take institutions.

मान्य तथा अमान्य विश्वविद्यालय एवं बोर्ड की सूची पुनः प्राप्त होने पर संशोधित हो सकती है।

महाविद्यालय-परिवार

प्रो० (डॉ०) चमन लाल (एम.एस-सी., एम.फिल., पी.एच-डी.)

प्राचार्य

प्राध्यापक मण्डल

कला संकाय

हिन्दी विभाग

डॉ. रमेश यादव, एम.ए., एम.फिल., पी.एच-डी., नेट

डॉ. मुकेश कुमार, एम.ए., एम.फिल., पी.एच-डी., नेट

अंग्रेजी विभाग

डॉ. नीतू त्यागी, एम.ए., पी.एच-डी., नेट

श्रीमती रीनू, एम.ए., एम.फिल., नेट

राजनीति विज्ञान विभाग

डॉ. उत्तम कुमार, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी., नेट

सैन्य विज्ञान विभाग

डॉ. भूमेश कुमार, एम.ए., पी-एच.डी.

शारीरिक शिक्षा विभाग

डॉ. हरेन्द्र सिंह, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी.

शिक्षाशास्त्र विभाग

डॉ. जितेन्द्र कुमार विकल, एम.ए. (इतिहास, हिन्दी), एम.

एड. (गोल्डमेडलिस्ट), पी-एच.डी. स्लेट, नेट, डी.ई.

इतिहास विभाग

डॉ. संदीप कुमार, एम.ए., एम.फिल., पी-एच.डी., एम.एड.

दीपक कुमार, एम.ए., नेट

वाणिज्य संकाय

डॉ. राजेश कुमार अग्रवाल, एम.कॉम., पी-एच.डी.

डॉ. हंसराज, एम.ए., एम.कॉम., पी-एच.डी.

विज्ञान संकाय

प्राणिविज्ञान विभाग

प्रो. योगेन्द्रपाल सिंह, एम.एस-सी., नेट

रसायन विज्ञान विभाग

प्रो. अजयबाबू शर्मा, एम.एस-सी., बी.एड., नेट

वनस्पति विज्ञान विभाग

डॉ. राकेश कुमार, एम.एस-सी., पी-एच.डी., नेट

गणित विभाग

प्रो. मदन पाल, एम.एस-सी., नेट

भौतिकी विभाग

प्रो. योगेन्द्र कुमार, एम.एस-सी., नेट

कार्यालय स्टाफ

श्री ब्रजपाल सिंह

कनिष्ठ लिपिक

श्री सुभाष चन्द्र

कार्यालय परिचर

श्री कृष्णपाल सिंह

प्रयोगशाला परिचर

श्री गौतम कुमार

प्रयोगशाला परिचर

श्री मसीचरण

चौकीदार